इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2015—भाद्र 4, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. एफ-ए-3-31-2015-1-पांच-(31).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के पूर्व प्रचलित उद्योग संवर्धन नीतियों के अनुसरण में जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त प्रकरणों पर उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अधीन गठित समितियों द्वारा विचार किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. एफ-ए-3-31-2015-1-पांच-(31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-31-2015-1-पांच-(31), दिनांक 26 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 26th August 2015

No. F-A-3-31-2015-1-V-(31).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, notifies that notwithstanding anything to the contrary contained in any of the notifications issued in pursuance of the Industrial Promotion Policies prevailing prior to Industrial Promotion Policy, 2014, the cases received under the said notifications shall be considered by the committees constituted under the Industrial Promotion Policy, 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.